भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2349
उत्तर देने की तारीख: 01.08.2022

लुप्तप्राय भाषाओं की सुरक्षा और संरक्षण

†2349. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू:
डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा:
श्री बेल्लाना चन्द्रशेखर:
श्री मितेष पटेल (बकाभाई):
श्री बालाशौरी वल्लभनेनी:
श्री जगन्नाथ सरकार:
श्रीमती शारदा अनिल पटेल:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कितनी भारतीय भाषाओं को लुप्तप्राय भाषाओं की सूची में रखा गया है;

(ख) वर्तमान में 'भारत की लुप्तप्राय भाषाओं की सुरक्षा और संरक्षण के लिए योजना' के अंतर्गत कवर की गई भाषाओं की संख्या कितनी है और आंध्र प्रदेश से ऐसी किसी भी योजना के अंतर्गत कवर की जाने वाली भाषाओं की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने विलुप्त होने के कगार पर मौजूद भारतीय भाषाओं का कोई डेटाबेस तैयार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का नई उभरती प्रौद्योगिकियों की सहायता से लुप्तप्राय भाषाओं को संरक्षित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) गत पांच वर्षों के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत भाषाओं के संरक्षण के लिए कितनी निधि आवंटित और उपयोग की गई है; और

(च) लुप्तप्राय या विलुप्त होने के कगार पर मौजूद भाषाओं को बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुभाष सरकार)

(क) से (च): [illegible], 2020 [illegible] “भारत की लुप्तप्राय भाषाओं की सुरक्षा और संरक्षण के लिए योजना” ([illegible]) [illegible], [illegible] ([illegible](, [illegible]रू 10,000 [illegible]/[illegible], [illegible], [illegible], [illegible] 117 [illegible]/[illegible] ([illegible]) [illegible] '[illegible]' [illegible] '[illegible]' [illegible] एसपीपीईएल द्वारा ऐसी भाषाओं के प्रलेखन, प्रचार और संरक्षण के लिए तैयार की गई सामग्रियों को संग्रहीत किया जाता है और इन भाषाओं की ई-सामग्री जैसे शब्दकोश, व्याकरण रेखाचित्र, ऑडियो और विजुअल डाटा को https://www.sppel.org वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है।

सीआईआईएल, मैसूरू द्वारा एसपीपीईएल के अंतर्गत आंध्र प्रदेश की थोटी और गोरुम भाषाओं को शामिल किया गया है।

वर्ष 2015-16 से 2021-22 के दौरान यूजीसी और सीआईआईएल द्वारा लुप्तप्राय भारतीय भाषाओं के संरक्षण हेतु उनकी योजनाओं के अंतर्गत 48.90 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।

***